विषय सूची

1.	संविधान	1
2.	नागरिकता	7
3.	संघ एवं राज्य क्षेत्र	11
4.	प्रस्तावना	17
5.	संविधान का विकास क्रम	22
6.	मौलिक अधिकार	27
7.	संविधान संशोधन	33
8.	राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति	43
9.	संसद	50
10.	न्यायपालिका	56
11.	राज्य विधानमंडल	61
12.	निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम	71
13.	स्थानीय शासन	74
14.	संविधान एक नज़र में	91

1 संविधान

अध्याय

Notes

संविधान क्या है?

कांस्टीट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कन्स्टीट्यूट से हुई जिसका अर्थ शासन करने वाला सिद्धान्त है। यह देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि होता है। जिसके द्वारा सरकार की रूपरेखा व प्रमुख काया का निर्धारण किया जाता है, साथ ही, जो राज्य के समस्त अंगों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) को शक्तियाँ प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।

- आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था।
- यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना जो वर्तमान में विद्यमान है।

संविधान की परिभाषा

- संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है।
- यह विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं सृजन करता है।
- यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का स्रोत होता है।

संविधान के उद्देश्य

- सरकार के अंगों का सृजन करना जैसे - विधान-पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि।
- सरकार के अंगों की शक्तियों जैसे - कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना।
- सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना।

संविधान का प्रयोग

- संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एंथ्रेंस (यूनान) से हुआ था। आधुनिक युग में यू.एस.ए. का संविधान बना जो लिखित रूप में था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के ***सर हेनरी मैन*** ने दिया था।
- भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार ***मानवेन्द्र नाथ रॉय*** ने दिया था।
- भारत में सर्वप्रथम संविधान की माँग करने वाला दल स्वराज दल था।
- भारत में सर्वप्रथम संविधान की माँग करने वाले व्यक्ति मोती लाल नेहरू थे।
- भारत संविधान पर सर्वप्रथम भाषण महात्मा गाँधी ने दिया था।

संविधान के प्रकार

लिखित संविधान

- नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसे लिखित संविधान कहते है।

  जैसेः- भारत, USA, स्विजरलैंड आदि।
- मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है।

  नोटः- इससे पहले अमेरीका का संविधान सबसे छोटा था।

अलिखित संविधान

- नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में नहीं होता है उसे अलिखित या मौखिक संविधान कहते है।
- अलिखित संविधान रीति-रिवाजों, परम्पराओं और न्यायी निर्णयों पर आधारित होता है।

  जैसेः- *ब्रिटेन, सउदी अरब, इजराइल व न्यूजीलैण्ड आदि।*

- इंग्लैड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं, तथा स्विट्जलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है।
- नागरिकों के मौलिक-अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों, नीति-निदेशक तत्वों आदि का उल्लेख करना।

संविधान निर्माण का क्रमिक मांग

- संविधान सभा के सिद्धान्त के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा 1922 में 'हरिजन नामक' पत्र में स्पष्ट कहा गया कि 'भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए'।
- भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ, जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित माँग पेश की गयी थी।
- 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक-संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की माँग प्रस्तुत की गयी।
- अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की माँग को ब्रिटिश सरकार ने अधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया।
- क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गयी है।
- 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनायी थी।

कैबिनेट मिशन योजना

- ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं।
- कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लारेंस (भारत सचिव) व ब्रिटेन-व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा नौ सेना अध्यक्ष ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे।
- कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था।
- भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। निर्वाचन केवल तीन संप्रदायों-मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर), में विभक्त किया गया था।
- चीफ कमीश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था।
- कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 292 प्रांतो से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किए गए थे।
- संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए (10 लाख पर 1)।
- संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी।
- ये भी पढें - भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी।

संविधान सभा के चरण

प्रथम चरण :- अवधि 6 दिसम्बर, 1946 से 14 अगस्त, 1947, कार्य - कैबिनेट मिशनके अंतर्गत संविधान सभा का कार्य।

द्वितीय चरण :- अवधि 15 अगस्त, 1947 से 26 नवम्बर, 1949, कार्य - संविधान सभा संप्रभुता संपन्न निकाय तदर्थ संसद के रूप में।

Notes